



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन 1942 (श10)

(सं0 पटना 641) पटना, शुक्रवार, 25 सितम्बर 2020

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2020

एस0 ओ0 181, दिनांक 25 सितम्बर 2020— श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बाल श्रम (प्र0 एवं वि0) अधिनियम, 1986 के कतिपय प्रावधानों में संशोधन करते हुए बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संख्या-61/1986) अधिसूचित की गयी है।

बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 (संख्या-61/1986) की धारा-17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल निम्नांकित तालिका के स्तंभ-3 में वर्णित पदाधिकारियों को “निरीक्षक” नियुक्त करते हैं तथा निदेश देते हैं कि उक्त निरीक्षक उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर सभी प्रतिष्ठानों (कारखाना और गैर कारखाना) के लिए अपने कृत्यों का प्रयोग करेंगे।

क्र०सं०	पदाधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	प्राधिकृत क्षेत्र
1	2	3
श्रम विभाग के पदाधिकारी		
1.	श्रमायुक्त, बिहार	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
2.	अपर श्रमायुक्त, बिहार	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
3.	सभी संयुक्त श्रमायुक्त	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
4.	सभी उप श्रमायुक्त	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़ कर
5.	मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान
6.	सभी सहायक श्रमायुक्त	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़ कर
7.	सभी कारखाना निरीक्षक	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान
8.	सभी श्रम अधीक्षक	कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को छोड़ कर

क्र०सं०	पदाधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	प्राधिकृत क्षेत्र
1	2	3
9.	सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	तदैव
जिला/अनुमंडल प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी		
10.	सभी जिला पदाधिकारी	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
11.	सभी उप विकास आयुक्त	तदैव
12.	सभी अनुमंडल पदाधिकारी	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान को छोड़कर
13.	सभी अंचलाधिकारी	तदैव
14.	सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी	तदैव
पुलिस पदाधिकारी		
15.	पुलिस अधीक्षक	सभी प्रतिष्ठान (कारखाना एवं गैर कारखाना)
16.	पुलिस उपाधीक्षक	केवल कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठान को छोड़कर
17.	पुलिस निरीक्षक/थाना प्रभारी	तदैव
18.	पुलिस अवर निरीक्षक	तदैव
स्थानीय निकाय के पदाधिकारी		
19.	नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, सभी नगर निगम	तदैव
20.	सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत/ नगर परिषद	तदैव
21.	सभी ग्राम पंचायत सचिव	तदैव
22.	सभी चौकीदार	तदैव
पर्यवेक्षीय पदाधिकारी		
23.	सभी अंचल निरीक्षक	तदैव
24.	सभी ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	तदैव
25.	सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	तदैव

2) पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1/सी०एल०-10-03/2015 श्र०सं०-24 दिनांक-04.01.2016 एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है।

(सं० 1/सी०एल०-10-03/2015 -2458/श्र०सं०)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सूर्यकांत मणि,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 641-571+100-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>